प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ

कोरम : माननीय श्री धीरेंद्र मिश्रा न्यायाधीश एवं

माननीय श्री दिलीप राव साहेब देशमुख न्यायाधीश

दांडिक अपील सं. – 556/2004

भरत लाल

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

विचारार्थ निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित
दिलीप राव साहेब देशमुख
न्यायाधीश

माननीय श्री धीरेंद्र मिश्रा न्यायाधीश मै सहमत हूँ

हस्ताक्षरित
धीरेंद्र मिश्रा
न्यायाधीश

दिनाँक 17-03-2009 को निर्णय हेतु सूचीबद्ध करें

हस्ताक्षरित
न्यायाधीश
16-03-2009

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ

कोरम : माननीय श्री धीरेंद्र मिश्रा न्यायाधीश एवं

माननीय श्री दिलीपरावसाहेब देशमुख न्यायाधीश

दांडिक अपील सं. – 556/2004

अपीलार्थी

(जेल में)

भरत लाल, पिता – आजुराम, आयु लगभग 25 वर्ष, निवासी — बोदसेरा, थाना, जैजैपुर, जिला – जांजगीर – चांपा (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

प्रत्यर्थी

छत्तीसगढ़ राज्य

द्वारा,थाना प्रभारी जैजैपुर, जिला – जांजगीर – चांपा (छ.ग.)

दांडिक अपील अंतर्गतधारा 374 (2) भारतीय दण्ड संहिता

<u>उपस्थित</u>: अपीलार्थी की ओर से श्री अजय अयाची अधिवक्ता ।

प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से श्री यु.एन.एस. देव शासकीय अधिवक्ता ।

<u>निर्णय</u>

<u>(दिनांक 17 मार्च 2009 को घोषित किया गया)</u>

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय न्यायाधीश दिलीप रावसाहेब देशमुख द्वारा दिया गया है :

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

1. यह दांडिक अपील अपर सत्र न्यायाधीश, सक्ती, जिला बिलासपुर द्वारा सत्र विचारण संख्या 274/2003 में दिनांक 07-05-2004 को दिए गए निर्णय के विरुद्ध निदिष्ट है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को, फरार अभियुक्त राजेंद्र के साथ मिलकर सामान्य आशय के साथ अग्रसर होते हुए, दिनांक 8-10-2002 को शाम लगभग 5 बजे ग्राम बोदसेरा में अगरदास के खेत के पास स्थित नहर के समीप रामचरण की हत्या करने के लिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के तहत दोषसिद्ध ठहराया गया था एवं उसे आजीवन कारावास और 1,000/- रुपये के जुर्माने से दंडादिष्ट किया गया, और जुर्माना के व्यतिक्रम में 3 माह के कठोर कारावास का भोगने का आदेश दिया गया था।

2. यह निर्विवाद है कि राजेंद्र उर्फ राम कुमार, जिस पर तीक्ष्ण धार वाले शस्त्र, यानी गंडासे से प्रहार करने का आरोप है, उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 299 के तहत फरार घोषित किया गया और उसका विचारण नहीं किया गया । एक अन्य सह-अभियुक्त रतन का विचारण किशोर न्यायालय द्वारा किया गया । सह-अभियुक्त नारायण, खुबूराम, अजुराम, रामप्रसाद, रमेश कुमार, सुखराम, मोहनलाल, दिनेशराम, तिजूराम और पुनीराम को भारतीय दंड संहिता की धारा 120 ख , 148 और 302 के साथ पठित धारा 149 के तहत लगे आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया जबकि अपीलार्थी को भी भारतीय दंड संहिता की धारा 120 ख और 148 के तहत लगे आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अभियोजन पक्ष संक्षिप्त की कहानी यह है कि दिनांक 8-10-2002 को शाम 5 बजे ग्राम बोडसेरा में अगरदास के खेत के समीप स्थित नहर के पास अपीलार्थी और राजेन्द्र उर्फ़ राम कुमार सामान्य आशय के साथ रामचरण की हत्या करने के प्रयोजन से अग्रसर हुए उस पर क्रमशः डंडा और गंडासा से हमला किया । पंचराम सतनामी, अ. सा. 21 , चक्षुदर्शी साक्षी ने विचारण न्यायाधीश के समक्ष कथित किया कि अपीलार्थी भरतलाल ने रामचरण के सिर के पीछे भाग पर डंडे से हमला किया, जिससे रामचरण भूमि पर गिर गया । उसने आगे यह अभिसाक्ष्य दिया कि दोनों अपीलार्थी और राजेन्द्र ने मिलकर रामचरण की हत्या की है । सेहतारू सतनामी, अ. सा. 20, चक्षुदर्शी साक्षी ने भी यह अभिसाक्ष्य दिया

कि उसने अपीलार्थी को रामचरण के सिर के पीछे हिस्से पर डंडे से वार करते हुए देखा, जिससे रामचरण गिर गया । अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था जिससे यह सिद्ध होता कि अपीलार्थी द्वारा रामचरण को कोई अन्य क्षति पहुँचाई गई । रामचरण का शव परीक्षण डॉ॰ के.एल. उरांव, अ. सा. 12 द्वारा किया गया, जिसमें यह पता चला कि उसकी पार्श्विका –पश्चकपाल (parieto-occipital) और शंखास्थि (temporal) हड्डी अस्थि – भंग हो गए थे । उन्होंने रामचरण के शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाई :

1 एक बड़ा कटा घाव बाएँ तरफ़ के चेहरे पर तथा सिर के साथ पाया गया जो पहचानने योग्य नहीं था, और जो बाएँ पश्चकपाल (occipital) हिस्से से सिर के बाएँ तरफ़ के चेहरे तक फैला हुआ था । घायल हिस्से की त्वचा के ऊपर की मांसपेशियाँ गायब थीं । सिर्फ़ बाएँ तरफ़ के चेहरे की हड्डी दृश्यमान थी जिसमें अस्थि – भंग जैसा कटाव था । सिर की बाईं ऑक्सिपिटो- पश्चकपाल (occipito-parietal) और शंखास्थि (temporal) हड्डी गायब थी, मस्तिष्क का पदार्थ बाहर निकल गया । मार्जिन नियमित थे और हल्का रक्त का थक्का उपस्थित था । चोट मृत्युपूर्व प्रकृति की थी ।

2 एक कटा हुआ घाव दाहिने कान के मध्य हिस्से से दाहिनी तरफ़ की गर्दन तक था, जो तिरछे रूप से स्थित था, आकार — 3½" x 1½" x 1½" का था । मार्जिन नियमित थे । त्वचा, मांसपेशियाँ, रक्तवाहिनियाँ और नसें कटी हुई थीं, थक्का जमा हुआ रक्त लाल भूरे रंग में मौजूद था । चोट मृत्युपूर्व प्रकृति की थी ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3 एक कटा हुआ छिन्न घाव गर्दन के पीछे और आधार भाग पर स्थित था , जो क्षैतिज रूप में था, आकार 3½" x 1" x 1" था । मार्जिन नियमित थे । त्वचा, मांसपेशियाँ, रक्तवाहिनियाँ और ग्रीवा हड्डी कटी हुई थीं । थक्का जमा हुआ रक्त लाल भूरे रंग में मौजूद था । चोट मृत्युपूर्व प्रकृति की थी ।

4 पीठ पर अनेक रगड़ के निशान थे, जो लंबाई में भिन्न भिन्न थे, और रंग में लाल थे । जिनके आकार - 6"x1/8", 5"x1/8", 4"x1/8", 7"x1/8", 3"x1/8" थे ।

5 दाहिनी कलाई के जोड़ पर सामने के हिस्से में एक कटा हुआ घाव था, जिसका आकार 3" x ½" x 1" था । मार्जिन नियमित थे, नसों, रक्तवाहिनियाँ, मांसपेशियाँ के साथ रेडियस (Radius) और अल्ना (Ulna) हड्डी कटी हुई थी, थक्का जमा हुआ रक्त उपस्थित था जिसका रंग लाल-भूरा था । चोट मृत्युपूर्व प्रकृति की थी ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6 बाईं कलाई के जोड़ पर सूजनयुक्त अंगविकार था । रेडियस और अल्ना हड्डियाँ अस्थि – भंग थीं ।

4. रामचरण की मृत्यु का कारण यह बताया गया कि वह रक्तस्रावी आघात के कारण हुई, जो हत्या के दौरान सिर की हड्डियों के कटने, मस्तिष्क पदार्थ की क्षति, तथा बड़ी रक्तवाहिनियों एवं नसों के कटने से उत्पन्न कटे हुए घावों के परिणामस्वरूप हुआ। मृत्यु का प्रकार मानव वध था ।

5. अपीलार्थी भरत लाल की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अजय अयाची ने प्रारम्भ से ही यह तर्क दिया कि, वह अपीलार्थी की दोषसिद्धि को धारा 302 सहपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एकमात्र इस आधार पर चुनौती दिया है कि

अपीलार्थी द्वारा रामचरण पर सिर के पीछे भाग पर डंडे से केवल एक बार हमला करने की क्रिया धारा 304 भाग II भारतीय दंड संहिता के परे नहीं जाती । और चूँकि अपीलार्थी भरतलाल ने पहले ही 14-10-2002 से आज दिनांक तक लगभग छह वर्ष पाँच माह की कारावास की अवधि व्यतीत कर ली है, अतः अपीलार्थी की दोषसिद्धि तथा विचारण न्यायाधीश द्वारा प्रदत्त दंड को धारा 304 भाग II भारतीय दंड संहिता में उपांतरित किया जाए तथा अपीलार्थी द्वारा पहले से भुगते गए कारावास की अवधि को दंड के रूप में माना जाए । कोई अन्य तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया ।

6. इसके विपरीत, राज्य / प्रत्यर्थी के पक्ष में विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री यू. एन. एस. देव, ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि उपर्युक्त वर्णनानुसार अभिकथित सह-अभियुक्त राजेन्द्र, ने मृतक रामचरण के मार्मिक अंगों पर गंडासा से कटा हुआ घाव पहुंचाए हैं वह अभी तक फरार है । फरार अभियुक्त राजेन्द्र की गिरफ्तारी के उपरांत, अभियोजन उसके दोष को सिद्ध करने हेतु साक्ष्य प्रस्तुत करेगा। अतः केवल इस तथ्य से कि अपीलार्थी, जिसने राजेन्द्र के साथ सामान्य आशय साझा किया था, ने डंडे का मात्र एक प्रहार रामचरण के सिर के पीछे पर किया, अपराध की गंभीरता को किसी भी प्रकार से कम नहीं करता, जिसके लिए अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया है। इस संदर्भ में **राजन राय बनाम बिहार राज्य**, **(2006) 1 SCC 191** तथा **परमजीत सिंह उर्फ मिथू सिंह बनाम पंजाब राज्य द्वारा सचिव (गृह)**, **(2007) 13 SCC 530, पर भरोसा किया गया।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. परस्पर विरोधी तर्कों को सुना, हमने अभिलेख का परिशीलन किया । इस अपील में, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तथ्य विवादित नहीं किया गया कि रामचरण की मृत्यु मानव वध थी । जिस प्रकार से रामचरण को उसके शरीर के मार्मिक अंगों पर चोटें आईं, उससे यह स्पष्ट होता है कि उस पर वास्तव में राजेन्द्र द्वारा पकड़े गए गंडासे से प्रहार किया गया था। अभियोजन ने यह भी सफलतापूर्वक सिद्ध किया है कि जब राजेन्द्र और अपीलार्थी द्वारा रामचरण पर हमला किया गया, तब अपीलार्थी ने रामचरण के सिर के पीछे भाग पर डंडे से प्रहार किया । एकमात्र प्रश्न जो विचारणीय है, वह यह है कि अपीलार्थी का कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II के अंतर्गत आता है या नहीं । यह तथ्य यथावत् है कि यद्यपि अपीलार्थी ने पहला प्रहार रामचरण के सिर के पीछे भाग पर डंडे से किया, फिर भी उसने राजेन्द्र को रामचरण पर गंडासे से वार करने से नहीं रोका । यह पूरी तरह उस निष्कर्ष को पुष्ट करता है कि अपीलार्थी घटना के समय पर राजेन्द्र के साथ मिलकर रामचरण की हत्या करने के आशय से कार्य कर रहा था । जिस प्रकार से रामचरण की पार्श्विका –पश्चकपाल (parieto-occipital) तथा शंखास्थि (temporal) हड्डियाँ अस्थि भंग हुई हैं, उससे किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रहता कि अपीलार्थी न केवल राजेन्द्र के साथ मिलकर कार्य कर रहा था बल्कि रामचरण की हत्या करने का आशय भी रखता था और उस प्रक्रिया में, न केवल उसने रामचरण के सिर के पीछे भाग पर डंडे से प्रहार किया, बल्कि किसी भी प्रकार से राजेन्द्र को रामचरण पर और चोटें पहुंचाने से भी नहीं रोका । ***सुरेश एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, AIR 2001 SC 1344*** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि धारा 34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि सह-अभियुक्त घटना स्थल पर उपस्थित हो । यहाँ तक कि कुछ परिस्थितियों में एक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

लोप भी कृत्य के समान हो सकती है । अतः धारा 34 भारतीय दंड संहिता में वर्णित कृत्य का अर्थ केवल प्रत्यक्ष कार्य तक सीमित नहीं है बल्कि कुछ परिस्थितियों में अवैध लोप भी कृत्य के समान मानी जा सकती है उदाहरणार्थ, यदि कोई सह-अभियुक्त पीड़ित के सामने खड़ा हो और देखे कि एक सशस्त्र हमलावर पीछे से हथियार लेकर पीड़ित की ओर आ रहा है और वह जानबूझकर पीड़ित को चेतावनी देने से विरत रहता है ताकि प्रहार पीड़ित पर पड़े, तो ऐसे लोप भी दिए गए परिप्रेक्ष्य में कृत्य माना जा सकता है । **परमजीत सिंह उर्फ मिथू सिंह बनाम पंजाब राज्य द्वारा सचिव (गृह)** (पूर्वोक्त) आदेश में यह कहा गया कि किसी व्यक्ति को प्रतिनिधिक तौर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अंतर्गत दोषसिद्ध करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक अभियुक्तों ने प्रत्यक्ष रूप से घातक चोटें पहुँचाने का कार्य किया हो । यह पर्याप्त है यदि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री यह दर्शाती है कि एक या अधिक अभियुक्तों द्वारा किया गया प्रत्यक्ष कृत्य समान आशय के अग्रसरण में किया गया था । वर्तमान मामले में, अपीलार्थी द्वारा साझा किया गया समान आशय इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि उसने प्रथम प्रहार रामचरण के सिर के पीछे भाग पर डंडे से किया, जिससे रामचरण भूमि पर गिर गया, और तत्पश्चात् सह-अभियुक्त राजेन्द्र ने बार-बार रामचरण पर गंडासे से प्रहार कर उसे वास्तव में काट डाला । अपीलार्थी ने किसी प्रकार से राजेन्द्र को रामचरण पर गंडासे से प्रहार करने से नहीं रोका । ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी द्वारा पीड़ित पर की गई चोट का स्वरूप तथा यह प्रश्न कि अपीलार्थी द्वारा मृतक पर की गई चोट स्वयं पूर्णरूप से मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी या नहीं, दोनों ही महत्वहीन हो जाते है । अपीलार्थी मात्र एक जिज्ञासु दर्शक नहीं था, बल्कि रामचरण की हत्या कारित करने में सक्रिय सहभागी था । अतः, अपीलार्थी रामचरण की हत्या

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

के लिए समान रूप से जिम्मेदार है जैसे कि हत्या का कृत्य उसी ने स्वयं किया हो । इस दृष्टिकोण से इस मामले में, हमारा यह विचारित मत है कि भारतीय दंड संहिता कि धारा 302 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत अपीलार्थी की दोषसिद्धि तथा विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, सक्ती द्वारा प्रदत्त दंडादेश न्यायोचित है और इस अपील में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

8. तदनुसार, यह अपील, किसी भी प्रकार के गुणागुण से रहित होने के कारण खारिज की जाती है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित
धीरेंद्र मिश्रा
न्यायाधीश

हस्ताक्षरित
दिलीप राव साहेब देशमुख
न्यायाधीश
17-03-2009

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Adv. Ashutosh Dwivedi